

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक
गोरखपुर, दिनांक 30.01.2025

सं०:2021/मेड/सतर्कता निस्तारण

चिकित्सा निदेशक/ल०न०मि०रे०चि/गोरखपुर ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर ।

विषय : रेलवे चिकित्सालयों में की जा रही प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में पद्धति सुधार ।

संदर्भ : उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार, गोरखपुर का पत्र संख्या:V/9/2024/07/00377/
PC/213 दिनांक 29.01.2025

उक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भित पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है। कृपया संदर्भित पत्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराये, ताकि सतर्कता विभाग को सूचित किया जा सके ।

संलग्नक-यथोपरि



(डा० डी०के०सिंह)

अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक/एम०एस०

प्रतिलिपि - उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार, गोरखपुर को उनके संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ ।

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
गोरखपुर-273012



Office of the
General Manager (Vig)
Gorakhpur - 273012

No. V/9/2024/07/00377/PC/213

Dated- 29.01.2025

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक,
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर।

विषय :- रेलवे चिकित्सालयों में की जा रही प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के संबंध में पद्धति सुधार।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2014/H/5/8 (Policy), दिनांक 07/07/2017 जिसमें (1) प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता के अलावा कमी से संबंधित क्षेत्र का एक विशेषज्ञ होगा बहरहाल, यदि इकाई/मंडल/उत्पादन इकाई में विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो तो एक वरिष्ठ चिकित्सक, जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे का न हो, को विशेषज्ञ के स्थान पर नामित किया जाएगा (2) पहली चिकित्सा जांच करने वाले के अलावा कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी, जो मंडल चिकित्सा अधिकारी से नीचे रैंक का न हो (3) कोई भी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से कम न हो, को संज्ञान में लेकर की गयी एक सतर्कता जांच के अनुक्रम में पाया गया है कि इस पत्र के अनुपालन में किसी भी मेडिकल श्रेणी में प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा में 'अयोग्य' पाए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा तीन चिकित्सकों की मेडिकल कमेटी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। जबकि मंडल रेल चिकित्सालय, इज्जतनगर में गठित मेडिकल कमेटीयों की सतर्कता जांच में पाया गया है कि मेडिकल कमेटीयों में चिकित्सकों के शामिल किये जाने संबंधी निर्णय में उपरोक्त रेलवे बोर्ड के पत्र में निर्धारित चिकित्सकों के ग्रेड का अनुपालन नहीं किया गया है तथा मेडिकल कमेटी में जूनियर ग्रेड के चिकित्सकों को शामिल करते हुए अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा की गयी थी।

अतः रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2014/H/5/8 (Policy), दिनांक 07/07/2017 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि किसी भी मेडिकल श्रेणी में प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा में 'अयोग्य' पाए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा हेतु तीन चिकित्सकों की मेडिकल कमेटी में उक्त रेलवे बोर्ड के अनुसार अहर्ता रखने वाले चिकित्साधिकारियों का निर्धारण अन्य मंडल चिकित्सालयों एवं केंद्रीय चिकित्सालय में पदस्थापित चिकित्साधिकारियों को शामिल करते हुए संपन्न कराया जा सकता है। जिससे रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2014/H/5/8 (Policy), दिनांक 07/07/2017 के अनुपालन को पूर्णतः सुनिश्चित किया जा सके। अतः उक्त पद्धति सुधार का अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से करते हुए कृत कार्यवाही से सतर्कता विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें। इस पर वउमप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

Arun
29/01/25
(अमित कुमार)
उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता